माननीय न्यायमूर्ति आई. एस. तिवाना

तारिया-याचिकाकर्ता

बनाम

अमर सिंह और एक और-उत्तरदाता

सिविल संशोधन हो। 1990 का 1902

17 दिसंबर, 1990

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -धारा 34-विषय क्षेत्र-भविष्य का ब्याज देने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है-लेन-देन वाणिज्यिक नहीं- 6 प्रतिशत से अधिक पर भविष्य का ब्याज देना-अधिकार क्षेत्र के बिना ऐसा ब्याज-डिक्री उस हद तक अमान्य है।

अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन डिक्री किसी भी वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित नहीं थी और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 का परंतुक किसी भी तरह से इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं था।इस निष्कर्ष के आलोक में, यह स्पष्ट है कि डिक्री के पारित होने के बाद की अवधि के लिए अदालत द्वारा छह प्रतिशत से अधिक की दर पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है।चूँकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति के नहीं हैं और वास्तव में, ब्याज के भुगतान का आदेश देने या निर्देशित करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए उक्त प्रावधान को संभवतः नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उस हद तक इसे नजरअंदाज कर दिया गया है, डिक्री को अमान्य कर दिया गया है।

(पैरा 6)

श्री ए. के. वर्मा, एच. सी. एस., उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, दादरी, के न्यायालय दिनांक 24 अप्रैल, 1990 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका, निर्णीत ऋणी द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हुए और मामले को रिपोर्ट के लिए 21 जुलाई, 1990 तक स्थगित करते हुए।

दावाःसी. पी. सी. की धारा 60 के साथ पठित आदेश 21 नियम 98 के तहत आपत्ति।

पुनरीक्षण में दावाःनिचली अपील न्यायालय के आदेश के परिवर्तन के लिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राज मोहन के साथ अधिवक्ता एस. सी. राठौर।

एस. सी. कपूर, अधिवक्ता नरेश कत्याल के साथ, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

न्यायमूर्ति एस. तिवाना,

1. याचिकाकर्ता ने निष्पादन न्यायालय के 24 अप्रैल, 1990 के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत उसके खिलाफ निष्पादित डिक्री को रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

(2) यह स्वीकार करते हुए, उसे प्रतिवादी के पक्ष में धन डिक्री प्राप्त हुई और उसी का प्रासंगिक प्रवर्तीभाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"यह मुकदमा 18 जुलाई, 1988 को प्रतिवादी के वकील श्री मांगे राम, एडवोकेट की उपस्थिति में मेरे (श्री आर.के. बिश्नोई, एचसीएस, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, दादरी) के समक्ष अंतिम निपटान के लिए आ रहा है। यह आदेश दिया जाता है कि वादी का मुकदमा सफल होता है और लागत के साथ फैसला सुनाया जाता है। 5,564 रुपये की राशि सहित मुकदमा दायर करने की तारीख से राशि की वास्तविक प्राप्ति की तारीख तक प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की एक डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित किया जाता है। ।

न्यायालय ने माना है कि डिक्री किसी भी तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 का उल्लंघन नहीं करती है और इसे निष्पादित करने के लिए कार्यवाही की जाये।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री राठौर ने बल्कि सख्ती से तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 की स्पष्ट भाषा के आलोक में, यह प्रावधान करते हुए कि डिक्री के पारित होने के बाद 6 प्रतिशत से अधिक दर पर किसी भी अतिरिक्त ब्याज की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विवादित डिक्री स्पष्ट रूप से एक अमान्य थी क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रप्रतिवादी-निर्णय ऋणी मुकदमा दायर करने की तारीख से राशि की वास्तविक प्राप्ति की तारीख तक प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री कपूर का तर्क यह है कि चूंकि डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, न्यायालय अधिक ब्याज दर दे सकता है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 के परंतुकके संदर्भ में किया गया है।संक्षेप में, तर्क यह है कि मौजूदा मामले में निर्णय ऋणी की देयता एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हो सकती है और इसलिए, विवादित डिक्री पूरी तरह से वैध है और न्यायालय यह जांचने के लिए डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है कि क्या मुकदमे में विमुकदमा एक वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित है या किसी अन्य आधार पर आधारित था।

(5) हालाँकि, इस मामले पर विचारशील विचार करने के बाद, विद्वान वकील की दलीलों के आलोक में, मैंने पाया कि प्रतिवादी डिक्री-धारक का रुख अस्वीकार करने योग्य है। अब तक, यह सुव्यवस्थित निर्धारित है कि डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री से परे नहीं जा सकता है; उसे डिक्री को उसके कार्यकाल के अनुसार लेना होगा (*पंजाब ऊनी कपड़ा कंपनी अमृतसर और अन्य बनाम बैंक ऑफ इंडिया ,आई. एस. तिवाना, जे.)*और वह किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं कर सकता है कि डिक्री कानून या तथ्यों के आधार पर गलत थी। जब तक इसे अपील या पुनरीक्षण में उचित कार्यवाही द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, तब तक एक डिक्री भले ही गलत हो, पार्टियों के बीच अभी भी बाध्यकारी है।(ए. आई. आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1475) देखें। समान रूप से सुव्यवस्थित निर्धारित कानून यह है कि किसी डिक्री का अर्थ लगाते समय न्यायालय को अभिवचनों और उससे पहले के निर्णय पर गौर करने का अधिकार है।(ए. आई. आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट 388) देखें।

(6) इन सिद्धांतों के आलोक में तथ्यों का परीक्षण किया गया है कि विचाराधीन डिक्री किसी भी वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित नहीं थी और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 का परंतुक किसी भी तरह से इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं था।इस निष्कर्ष के आलोक में, यह स्पष्ट है कि डिक्री के पारित होने के बाद की अवधि के लिए अदालत द्वारा छह प्रतिशत से अधिक की दर पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है।चूँकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति के नहीं हैं और वास्तव में, ब्याज के भुगतान का आदेश देने या निर्देशित करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए उक्त प्रावधान को संभवतः नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उस हद तक इसे नजरअंदाज कर दिया गया है, डिक्री को अमान्य कर दिया गया है। इस दृष्टिकोण के लिए मैं *सिरी चंद और एक अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यमुनानगर और एक अन्य* 1988 (1) पी.एल.आर. 473.में इस न्यायालय के पहले के फैसले से समर्थन चाहता हूं।इसलिए, मैं इस याचिका को इस सीमित सीमा तक स्वीकार करता हूं कि निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री पारित करने की तारीख से लेकर राशि की प्राप्ति की तारीख तक की अवधि के लिए छह प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निष्पादन न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। कोई लागत नहीं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा